



2026:AHC:71845

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या- 11748 वर्ष 2026

अभय वर्मा और अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: संजय सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 77

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत आवेदन को धारा 316(2), 318(4), 352 और 351(2) बी.एन.एस., थाना-भेलूपुर, जिला वाराणसी के तहत केस अपराध संख्या-253 वर्ष 2025 से उत्पन्न केस संख्या-1322 वर्ष 2026 (राज्य बनाम अभय वर्मा और अन्य) की पूरी कार्यवाही के साथ-साथ 09.11.2025 की आरोप पत्र को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोपपत्र को संज्ञान/समन आदेश के साथ इस आधार पर चुनौती दी है कि दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2024 10 एस.सी.सी. 690 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के अनुसार धारा 420 भ०द०वि० और 406 एक साथ एक साथ नहीं चल सकती है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"38. हमारे विचार में, शिकायत का सादा पठन ऊपर उल्लिखित किसी भी उपरोक्त सामग्री को स्पष्ट करने में विफल रहता है। हम केवल पुलिस के साथ-साथ अवर न्यायालयों के मन में कानून की एक गंभीर गलत धारणा को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दूर करने की दृष्टि से यह कह सकते हैं कि यदि यह शिकायतकर्ता का मामला है कि धारा 405 भन्धवि० के तहत परिभाषित आपराधिक विश्वासघात का अपराध, धारा 406 भन्धवि० के तहत दंडनीय, आरोपी द्वारा किया जाता है, तो साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने धारा 415 भन्धवि० में परिभाषित और समझाया गया धोखा देने का अपराध भी किया है, जो धारा 420 भन्धवि० के तहत दंडनीय है।

41. अनुबंध के केवल उल्लंघन और आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर एक जुर्माना है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रलोभन के समय अभियुक्त के इरादे पर गौर किया जाना चाहिए, जिसे बाद के आचरण द्वारा आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए, बाद का आचरण एकमात्र परीक्षण नहीं है। अनुबंध का केवल उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है जब तक कि लेनदेन की शुरुआत से ही धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है यानी वह समय जब अपराध किया गया कहा जाता है। इसलिए, यह इरादा है, जो अपराध का सार है।

43. आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के बीच अंतर है। धोखाधड़ी के लिए, झूठे या भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के समय यानी शुरुआत से ही आपराधिक इरादा आवश्यक है। आपराधिक विश्वास के उल्लंघन में, सौंपने का केवल प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक विश्वासघात के मामले में, अपराधी को कानूनी रूप से संपत्ति सौंपी जाती है, और उसने बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया है। जबकि, धोखाधड़ी के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को वितरित करने के लिए धोखा देकर धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ नहीं रह सकते हैं।

55. अब समय आ गया है कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को कानून में उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि धोखाधड़ी के अपराध और आपराधिक विश्वासघात के बीच के अंतर को समझा जा सके। दोनों अपराध स्वतंत्र और अलग हैं। दोनों अपराध एक ही तरह के तथ्यों में एक साथ नहीं रह सकते। वे



एक दूसरे के विरोधी हैं। भन्दवि० के दो प्रावधान (अब बी.एन.एस., 2023)

जुड़वां नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते।

4. चूंकि आवेदक के अधिवक्ता की ओर से दिए गए तर्क कानूनी मुद्दे पर आधारित हैं, इसलिए प्रतिपक्षी संख्या-2 को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

5. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा भरोसा किए गए कानून के स्थापित प्रस्ताव पर विवाद करने में असमर्थ हैं।

6. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद, मामले के अभिलेखों और दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों धाराएं यानी धारा 420 और 406 भन्दवि० एक ही सांस में नहीं जा सकती हैं और इस तरह, आरोप पत्र दिनांक 09.11.2025 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 06.01.2026 के साथ-साथ केस अपराध संख्या-253 वर्ष 2025 से उत्पन्न केस संख्या-1322 वर्ष 2026 (राज्य बनाम अभय वर्मा और अन्य) की पूरी कार्यवाही के साथ-साथ धारा 316(2), 318(4), 352 और 351(2) बी.एन.एस., थाना-भैलूपुर, जिला वाराणसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट-II, वाराणसी की अदालत में लंबित है। दिल्ली रेस क्लब (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रस्ताव के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने का नया आदेश पारित करने के लिए मामले को एतद्वारा संबंधित न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है।

7. तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से **अनुमति** दी जाती है।

मार्च 31, 2026

आशीष/-

(न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव)